

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग,
कार्यालय अधिशासी अभियंता
मध्य गंगा मंडल-2,
केंद्रीय भवन, हाल सं0-3, द्वितीय तल, अलीगंज
लखनऊ

पत्रांक: मगंम-2/ के0ज0आ0/ मु0-02/ 2011-12/10101- 04 दिनांक: 01/10/2011

दर सूची आमन्त्रण सूचना (NIQ)

सेवा में,

विषय:- तकनीकी/प्रशासनिक फार्म एवं रजिस्टर की छपाई का कार्य के संबंध में।

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सलंगन विवरण के अनुसार तकनीकी/प्रशासनिक फार्म एवं रजिस्टर की छपाई के कार्य हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार मुहरबन्द दर सूची आमंत्रित की जाती है।

नियम एवं शर्तें:-

- 1- उपरोक्त कार्य हेतु नमूनों का निरीक्षण कार्य दिवस के दौरान 11.00 बजे (पूर्वाह्न) से 04.00 बजे (अपराह्न) तक किया जा सकता है।
- 2- दर सूची दिनांक 14.10.2011 को 03.00 (अपराह्न) बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी एवं उसी दिन 04.00 बजे (अपराह्न) बजे खोली जाएंगी।
- 3- कोई अतिरिक्त कर देय नहीं होगा, यदि उसका विवरण दर सूची में नहीं किया गया है।
- 4- दर सूची में दर्शाई गयी दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी होनी चाहिए।
- 5- शर्तों के साथ भेजे गये कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 6- कार्य की मात्रा घटाने/बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- 7- आयकर, यदि कोई होगा, तो वह नियमानुसार काट कर भुगतान किया जाएगा।
- 8- कार्य की दरें सभी अन्य प्रभारों के साथ दी जानी चाहिए एवं कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 9- निविदायें मान्यता प्राप्त, पंजीकृत एवं PAN NO. धारक प्रतिष्ठानों की ही स्वीकृत की जायेगी।
- 10- कोटेशन में दर्शायी गयी दर 180 दिन तक लागू होना चाहिए, इस मुददे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी इस शर्त से सहमति मानी जायेगी।
- 11- सभी कटिंग एवं ओवर राइटिंग प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- 12- कार्य आदेश प्राप्त करने वाली फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य के दौरान सरकारी सामान को कोई नुकसान न पहुँचे, यदि कार्य के दौरान कोई लापरवाही वश सरकारी सम्पत्ती को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई फर्म के भुगतान बीजक से कर लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- 13- कार्य के संतोषजनक रूप में पूर्ण होने के पश्चात बीजक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर कास चेक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी वाणिज्यिक शाखा लखनऊ के द्वारा किया जाएगा।
- 14- लोकहित में बिना कारण बताये किसी या सभी दर सूचियों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(विवेक पाल)
अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि:-

- 1- निदेशक, शापटवेयर निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
- 2- लेखानुभाग, मध्य गंगा मंडल-2, केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ।
- 3- नोटिस बोर्ड, मध्य गंगा मंडल-2, केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ।
- 4- नोटिस बोर्ड, मुख्य अभियंता, कार्यालय, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ।

rduhdh@i t kkl fud QkeZ , oa jftLVj dh Nikbz dk dk; Z

Ø- I a	dk; Z dk foj .k	i Uuka dh I a; k	Ekk=k	nj ¼vdä e½	nj ¼ kCnª e½
	QkeZ dh Nikbz dk dk; Z		i M ¼ux e½		
1-	आर0डी0-1	100	36		
2-	आर0डी0-2	100	12		
3-	आर0डी0-3	100	10		
4-	आर0डी0-4	100	20		
5-	आर0डी0-5	100	12		
6-	आर0डी0-6	100	20		
7-	आर0डी0-7	100	20		
8-	आर0डी0-8	100	10		
9-	मासिक प्रगति रिपोर्ट (Set of 06 page)	Set of 6 pages	100 Set		
10-	Hand receipt form	100	10		
11-	GPF advance application form	100	5		
12-	GPF Advance/withdrawal bill form	100	5		
13-	Tour Program me form	100	10		
14-	T A Bill form	100	20		
15-	Festival Advance form	100	5		
16-	Daily water level & Flood forecasting form for Sub div. Kanpur	100	10		
17-	Schedule docket	100	20		
18-	Pay bill form W/C TR-29	100	10		
19-	Pay bill form TR - 22	100	10		
20-	EL application form	100	10		
	jftLVj dh Nikbz dk dk; c		jftLVj ¼ux e½		
1-	आर0डी0-1	100	40		
2-	आर0डी0-2	100	10		
3-	आर0डी0-3	100	10		
4-	आर0डी0-4	100	10		
5-	आर0डी0-5	100	10		
6-	आर0डी0-6	100	10		
7-	आर0डी0-7	100	20		
8-	आर0डी0-8	100	10		
9-	टी0 एण्ड पी-13	100	10		
10-	टी0 एण्ड पी-14	100	10		
11-	टी0 एण्ड पी-15	200	10		
12-	एम0ए0एस0	100	30		
13-	इम्परेस्ट केश बुक	100	30		
14-	Attendance register	25	50		
15-	Dairy register	200	10		
16-	Dispatch register	200	10		
17-	Peon book	50	20		
18-	Pay bill register - GAR - 17	100	10		
19-	Pay bill register - GAR - 17	200	10		

अधिशाली अभियंता
मध्य गंगा मंडल-2,
केंद्रीय जल आयोग, लखनऊ

